न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 269/2012

वादी :-

1. सगनाई बेवा हरजीराम
2. मंगलाराम वल्द हरजीराम
3. सायरी पुत्री हरजीराम
4. मैना पुत्री हरजीराम

जातियान-कुमावत
निवासीयान-खिनावड़ी
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

बनाम प्रतिवादी :-

1. तहसीलदार जैतारण, भूमिधारी तहसील-जैतारण (जिला-पाली)
2. पटवारी, पटवार हल्का बलाड़ा, तहसील-जैतारण जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:. 03.12.2012

उपस्थितः- 1. श्री शंकरलाल कुमावत, अधिवक्ता, वादीगण।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 14/03/2015**

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि मृतक हरजी वल्द किशना जाति-कुम्हार (कुमावत) की खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि खसरा संख्या 1428 रकबा 6 बीघा 02 बीघा बिस्वा किस्म बा0अ0 सरहद मौजा प्रतापपुरा पटवार हल्का-बलाड़ा, तहसील-जैतारण जिला-पाली में स्थित हैं। मृतक हरजी की मृत्यु दिनांक 13/08/1993 को ग्राम-खिनावडी, पटवार हल्का-फूलमाल, तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राजस्थान) में होने से उसकी खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 1428 कुल रकबा 6 बीघा 02 बिस्वा अभी भी मृतक हरजी वल्द किशना के नाम ही दर्ज है तथा हरजी की मृत्यु के बाद उसके उतराधिकारी वंशावली क्रमशः सगनाई (पत्नि), मंगलाराम (पुत्र) पुत्रियां सायरी व मैना की खातेदारी कृषि भूमि में उक्त उनके उतराधिकारीगण दाखिला खारिज करवाने कानूनी अधिकारी हैं। वादीगण द्वारा वाद पत्र के साथ सलंग्न किये गये दस्तावेजात वाद के आवश्यक भाग हैं। मृतक हरजी वल्द किशना के वारिसान वादीगण ने अपने पिता हरजी वल्द किशना का मृत्यु प्रमाण ग्राम पंचायत-फूलमाल से जारी किया गया। क्योंकि मृतक हरजी वल्द किशना की पैतृक सम्पतियाँ ग्राम-खिनावडी में स्थित है। उसमें वादीगण ने अपना दाखिला खारिज करवा दिया, जबकि पटवारी बलाड़ा से मृतक के वारिसान मंगलाराम वल्द हरजीराम को कहा कि सहायक कलेक्टर महोदय, के न्यायालय से आदेश करवाओं, तब वह वादीगण का दाखिला खारिज करेगा। इसलिए उक्त वाद पत्र पेश करने की आवश्यकता पड़ी तथा उनके द्वारा सम्पूर्ण राजस्व रेकार्ड की नकलें देने से जानकारी में आया। मृतक हरजी वल्द ..... यानि खसरा संख्या 1428 में हरजी के पिता का नाम तत्कालीन पटवारी एवं सैटलमेन्ट्स विभाग के कार्मिकों ने हरजी के पिता का नाम खाली छोड दिया, जिसके कारण पटवारी हल्का बलाड़ा ने नामान्तरकरण भरने के लिये ईन्कार कर दिया। इसलिए वादीगण ने सम्पूर्ण दस्तावेजात लेकर पटवारी हल्का बलाड़ा के पास दिनांक 08.11.2012 नामान्तरकरण भरने के लिये गया तो बताया कि पहले अपने पिता हरजी वल्द किशना का नाम जुडवाकर लेकर

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

आना होगा। इसलिए वाद पत्र घोषणा का प्रस्तुत किया हैं। वादीगण के खसरा संख्या 1428 रकबा 06 बीघा 02 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित करने का आदेश फरमावें। वादीगण का बिनायदावा दिनांक 08/11/2012 को फौतेदगी नामान्तरकरण भरने से पटवारी हल्का बलाड़ा द्वारा मना करने से, हरजी वल्द किशना का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 13/08/1993 जारी होने से, दिनांक 30/05/2012 दिनांक 11/07/2012 को खसरा संख्या 1428 का राजस्व रेकार्ड लेने से सम्पूर्ण स्थिति की जानकारी होने से उक्त वादकरण दिन-ब-दिन पैदा होता आ रहा हैं व जो उक्त वाद पत्र श्रीमान् के श्रवण व क्षेत्राधिकार में पेश किया हैं। वाद में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को पक्षकार बनाने के पहले विधिक नोटिस धारा 80 (2) जाप्ता दीवानी पेश कर स्वीकृति लेने होती हैं परन्तु वादीगण को श्रीमान् तहसीलदार व पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण फौतेदगी भरने से इन्कार करने पर उक्त वाद पत्र उनके विरुद्ध पेश करने की आवश्यकता पड़ी इसलिए अलग से प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। इस प्रकार वकील मय वादीगण ने माफिक दावा वादी का वाद डिक्री किया जाकर वादीगण के पिता हरजी पुत्र किशनाराम की वल्दियत राजस्व रिकॉर्ड में जोड़ा जाने तथा उक्त विवादित भूमि में मृतक हरजी पुत्र किशनाराम के वारिसान / उत्तराधिकारीगण वादीगण संख्या 1 से 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 2 को बावजूद तामिली / सूचना बार-बार आवाजें दिलाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध दिनांक 09/03/2015 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रति0 संख्या 2 की ओर से सरकारी पैरोकार नायब तहसीलदार, जैतारण उपस्थित आए। जिन्हें दिनांक 07/01/2013 से लगातार जबाबदावा पेश करने हेतु अनेकानेक अवसर दिये जाने के बावजूद भी विफल रहने से दिनांक 09/03/2015 को जबाबदावा बन्द किया गया।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादीगण ने व्यक्त किया कि वक्त सैटलमेन्ट मौजा-बलाड़ा की विवादित कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 1428 रकबा 6-02 बीघा किस्म बा0अ0 भूमि में वादीगण के पिता का हरजी नाम दर्ज था किन्तु उनके पिता के नाम के स्थान पर खाली स्थान अंकित रख दिया, जो आगे की जमाबन्दी सम्वत् 2045-48, 2049-52, 2053-56, 2057-60 तथा गिरदावरी सम्वत् 2010 से 2013, 2014 से 2016, 2018 से 19 तथा 2020 से 2013 में भी यथावत् अंकित हैं। साक्ष्य सबूत बतौर प्रस्तुत दस्तावेजात तथा हरजीराम की मृत्यु दिनांक 13/08/1993 होने का रजिस्ट्रार जन्म / मृत्यु पंजीयन ग्राम पंचायत - फूलमाल द्वारा जारी प्रमाण-पत्र व सरपंच फूलमाल द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र दिनांक 08/06/2012 एवं बेचाननामा पंजीबद्ध दिनांक 01/03/1967, आधार कार्ड संख्या 990583316994 तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनाव फोटो पहिचान-पत्र संख्या RJ/21/159/247032 दिनांक 19/03/1997 से भी वाद पत्र के तथ्यों की संपुष्टि हो जाने से माफिक दावा वादी का वाद डिक्री किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया। बहस विद्वान अधिवक्ता पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वक्त सैटलमेन्ट मौजा-बलाड़ा की विवादित कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 1428 रकबा 6-02 बीघा किस्म बा0अ0 भूमि में वादीगण के पिता का हरजी नाम दर्ज था किन्तु उनके पिता के नाम के

तहसीलदार
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

स्थान पर खाली स्थान अंकित रख दिया, जो आगे की जमाबन्दी सम्वत 2046-48, 2049-52, 2053-56, 2057-60 तथा गिरदावरी सम्वत 2010 से 2013, 2014 से 2016, 2018 से 19 तथा 2020 से 2013 में भी यथावत अंकित हैं। साक्ष्य सबूत बतौर प्रस्तुत दस्तावेजात तथा हरजीराम की मृत्यु दिनांक 13/08/1993 होने का रजिस्ट्रार जन्म / मृत्यु पंजीयन नाम पंचायत - फूलमाल द्वारा जारी प्रमाण-पत्र व सरपंच फूलमाल द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र दिनांक 08/06/2012 एवं बेचाननामा पंजीबद्ध दिनांक 01/03/1967, आधार कार्ड संख्या 990583316994 तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनाव फोटो पहिचान-पत्र संख्या RJ/21/159/247032 दिनांक 19/03/1997 से भी वाद पत्र के तथ्यों की संपुष्टि होती हैं तथा बतौर सबूत प्रस्तुत पंजीबद्ध दस्तावेजात दिनांक 01/03/1967 में क्रेता हरजी पुत्र किशना व उनके साथ मंगला पुत्र हरजी का भी अंकन होने से तथा अन्य दस्तावेजात से वाद पत्र के तथ्य संपुष्टि होते हैं। लिहाजा वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार किया जाना तथा उक्त विवादित भूमि में वादीगण के पिता के खाली स्थान हरजी वल्द ..... के स्थान पर हरजी वल्द किशना दर्ज किये जाने के आदेश दिया जाना तथा पंजीबद्ध दस्तावेजात अनुसार वादीगण संख्या 2 के नाम की ही संपुष्टि होने से वादीगण संख्या 1, 3 व 4 तथा अन्य विधिक वारिसानों की जांच करके विधिक नामान्तरकरण पारित किये जाने हेतु तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाना उचित समझते हैं।

-::आदेश::-

अतः वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार किया जाता हैं। आंशिक डिक्री वादक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती है कि राजस्व गाँव प्रतापपुरा पटवार हल्का-बलाड़ा, तहसील-जैतारण जिला-पाली में स्थित खसरा संख्या 1428 रकबा 6 बीघा 02 बीघा बिस्वा किस्म बा0अ0 की उक्त भूमि में वादीगण के पिता के खाली स्थान हरजी वल्द (.....) के स्थान पर हरजी वल्द किशना दर्ज किये जाने के आदेश दिया जाता हैं तथा पंजीबद्ध दस्तावेजात अनुसार वादीगण संख्या 2 के नाम की ही संपुष्टि होने से वादीगण संख्या 1, 3 व 4 तथा अन्य विधिक वारिसानों की जांच करके विधिक नामान्तरकरण पारित किये जाने हेतु तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता हैं। डिक्री पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 हो। तहसीलदार डिक्री की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनाँक 14.03.2015 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

संशोधित डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

इजलास अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

वादी :-	बनाम	प्रतिवादी :-
1. सुगनाई बेवा हरजीराम		1. तहसीलदार जैतारण, भूमिधारी तहसील-जैतारण (जिला-पाली)
2. मंगलाराम वल्द हरजीराम		
3. सायरी पुत्री हरजीराम		2. पटवारी, पटवार हल्का बलाड़ा, तहसील-जैतारण जिला-पाली
4. मैना पुत्री हरजीराम		
जातियान-कुमावत		
निवासीयान-खिनावड़ी		
तहसील-जैतारण, जिला-पाली		

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 मु0न0 :रा0वा0 स0: 269/2012

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....-..... व हाजरी श्री शंकरलाल कुमावत, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार किया जाता हैं। संशोधित आंशिक डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती है कि सरहद गौजा-बलाड़ा, पटवार हल्का-बलाड़ा, तहसील-जैतारण जिला-पाली में स्थित खसरा संख्या 1428 रकबा 6 बीघा 02 बीघा बिस्वा किस्म बा0अ0 की उक्त भूमि में वादीगण के पिता के खाली स्थान हरजी वल्द (.....) के स्थान पर हरजी वल्द किशना दर्ज किये जाने के आदेश दिया जाता हैं तथा पंजीबद्ध दस्तावेजात अनुसार वादीगण संख्या 2 के नाम की ही संपुष्टि होने से वादीगण संख्या 1, 3 व 4 तथा अन्य विधिक वारिसानों की जांच करके विधिक नामान्तरकरण पारित किये जाने हेतु तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता हैं। तहसीलदार डिकी की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 14.12.2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02	-00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	01	-00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	03	-00	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	-		फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर	03	-00	बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा	-	-	मुत्फरिक		
मिजानः-	09	-00	मिजानः-	-Nil-	

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner